REGIONAL OFFICE (JAIPUR-SOUTH)
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4,INSTITUTIONAL AREA, JHALANA DOONGRI, JAIPUR
Website - www.environment.rajasthan.gov.in
Email Id – ro.jaipursouth@gmail.com
Phone – 0141-5159858,5159860,5159863,5159864,

क्रमांक:राप्रनिम / जय. / द. / जन. / ब्रिक्स / 1481 - 1483 दिनांकः 30/10/2017

(i) उपखण्ड अधिकारी
बस्सी, जयपुर।

(ii) उपखण्ड अधिकारी,
सांगानेर, जयपुर।

विषयः– कानोता, बस्सी क्षेत्र में आगरा रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग–11) पर स्थित बिना राज्य मण्डल की पूर्व सम्मति संचालित ईंट भट्टो को बंद करवाने बाबत।

संदर्भः– केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वायु अधिनियम की धारा 18 (1)(बी) के तहत बिना सम्मति प्राप्त ईंट भट्टो को बंद करने के निर्देश बाबत। (प्रति संलग्न)

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुऐ अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को सम्पूर्ण राज्य में वायु अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत बिना मण्डल की सम्मति प्राप्त ईंट भट्टो को बंद करने के निर्देश जारी किये गये है।

उल्लेखनीय है कि आगरा रोड के किनारे बस्सी एवं कानोता क्षेत्र में बहुतायत में ईंट भट्टे बिना राज्य मण्डल की सम्मति के संचालित किये जा रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार केवल 16 ईंट भट्टो (सूची संलग्न-I) की सम्मति वैद्य है तथा 131 ईंट भट्टे (सूची संलग्न-II) बिना वैद्य सम्मति के कार्यरत है। क्षेत्रीय कार्यालय को ईंट भट्टो से वायु प्रदूषण बाबत् शिकायते प्राप्त हो रही है, राज्य सरकार द्वारा भी संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण की अपेक्षा संबंधित अधिकारियों से की जाती है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों के आवागमन से प्रदूषण स्तर अधिक रहता है, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित ईंट भट्टो से उत्पन्न वायु प्रदूषण का स्तर और अधिक बढ जाता है जिससे आस–पास के नागरिको के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधिकार में स्थित बिना वैध सम्मति प्राप्त किये संचालित ईंट भट्टो को बंद करवाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान करने का श्रम करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

30.10.17
(वी.एस. सांखला)
वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– माननीय जिला कलेक्टर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी